संख्या:34 /2021/897 ई-2/तेरह-2020-02/2020

प्रेषक,

संजय आर. भूसरेड्डी
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 मई, 2021

विषय:- आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के कतिपय प्राविधानों में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-146/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2021-22, दिनांक 25.03.2021का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त प्रदेश के राजस्व एवं जनहित के दृष्टिगत आबकारी नीति वर्ष 2021-22 के निम्नलिखित प्रस्तरों में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(क) **आबकारी नीति 2021-22 का प्रस्तर-2.1.1:** प्रदेश में कॉच की बोतलों के निर्माण संबंधी उद्योग को प्रोत्साहित करने हेतु यू.पी. मेड लिकर (यू.पी.एम.एल;) की आपूर्ति असेप्टिक ब्रिक पैक (टेट्रा पैक) और कॉच की बोतलों में इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य किया जाता है कि उत्पादक आसवनी द्वारा यू.पी. मेड लिकर की 25 प्रतिशत आपूर्ति कॉच की बोतलों में सुनिश्चित की जायेगी।

(ख) **आबकारी नीति 2021-22 का प्रस्तर-2.14:** श्रेणीवार अनुमन्य 90 एम.एल. तक की धारिता की बोतलों पर विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क का निर्धारण निम्नवत् किया जाता है:-

क्र.सं.	विदेशी मदिरा की श्रेणी	बोतलों की धारिता (एम.एल. में)	प्रस्तावित विशेष अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**
1	रेगुलर	90 एम.एल. तक	10/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2	प्रीमियम	90 एम.एल. तक	10/-
3	सुपर प्रीमियम	90 एम.एल. तक	20/-
4	स्कॉच	90 एम.एल. तक	30/-
5	समुद्रपार आयातित	90 एम.एल. तक	40/-

(ग) **<u>आबकारी नीति 2021-22 का प्रस्तर-2.2.4:</u>** प्रतिरक्षा सेनाओं एवं अन्य केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक सुरक्षा बलों को प्रीमियम श्रेणी से उच्च श्रेणी की विदेशी मदिरा की आपूर्ति पर भी प्रतिफल शुल्क की दर सिविल हेतु निर्धारित प्रतिफल फीस का 60 प्रतिशत निर्धारित की जाती है।

(घ) **<u>आबकारी नीति 2021-22 का प्रस्तार-2.16(16):</u>**वैयक्तिक होम लाइसेंस के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मदिरा हेतु कब्जे में रखने की अधिकतम सीमा, धारिता में संशोधन तथा नयी श्रेणी व उसकी धारिता को जोड़ने संबंधी संशोधन किये जाने का अधिकार, शासन के पूर्वानुमोदन से आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को प्रतिनिधानित किया जाता है।

भवदीय,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।